



## महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्र. एफ-15/शोध/मदसवि/RET 2017/

दिनांक : /08/2021

### शोध पर्यवेक्षक आवंटन अधिसूचना

शोध पर्यवेक्षक आवंटन अधिसूचना क्रमांक: एफ-15/शोध/मदसवि/RET-2017/69703 दिनांक: 29.08.2018 एवं सशोधित शोध पर्यवेक्षक आवंटन अधिसूचना क्रमांक: एफ-15/शोध/मदसवि/RET-2017/70756 दिनांक: 26.09.2018 की अनुपालना में आवंटन के पश्चात् माननीय कुलपति महोदय के आदेश की पालना में रिक्त स्थानों की उपलब्धता के आधार पर विश्वविद्यालय में पीएच.डी. शोधोपाधि हेतु शोध पात्रता परीक्षा RET 2017 उत्तीर्ण एवं RET 2017 में छूट प्राप्त शोध रहे अभ्यर्थियों द्वारा शोध पर्यवेक्षक आवंटन किये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित दिनांक तक अपनी सहमति प्रस्तुत की। इन अभ्यर्थियों को वरीयता के आधार पर विश्वविद्यालय के अध्यादेश 124.8 के प्रावधानानुसार विषयवार शोध पर्यवेक्षक आवंटन समिति द्वारा शोध पर्यवेक्षक आवंटित किये गये। समिति का कार्यवृत्त माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदन के पश्चात्, निम्नानुसार अभ्यर्थियों को शोध पर्यवेक्षक आवंटित किये जाते हैं :-

| क्रसं. | शो.प.आ.समिति का विषय एवं बैठक की दिनांक | अभ्यर्थी का नाम | शोध पर्यवेक्षक का नाम एवं शोध केन्द्र जिसे अभ्यर्थी आवंटित किया गया | अन्य विवरण |
|--------|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 1      | भूगोल<br>12.08.2021                     | RAMLAL MEENA    | Dr. Kashmir Bhatt<br>M.L.V.Govt. College Bhilwara                   |            |
| 2      | भूगोल<br>12.08.2021                     | Praveen Yadav   | Dr. Kashmir Bhatt<br>M.L.V.Govt. College Bhilwara                   |            |

उक्त पुनः आवंटन निम्नलिखित शर्तों पर किया जाता है :-

1. अभ्यर्थी को संबंधित शोध केन्द्र के विभागाध्यक्ष/प्राचार्य को आवंटित शोध पर्यवेक्षक के निर्देशन में कोर्स वर्क ज्वाइन करने हेतु अपनी ज्वाइन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। जिसके साथ कोर्स वर्क शुल्क रु. 5000/- का रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट, जो कुलसचिव, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के नाम हो, संलग्न होगा। ज्वाइनिंग रिपोर्ट शोध अनुभाग में जमा करानी होगी।
  2. संबंधित अभ्यर्थी को 'कोर्स वर्क' ज्वाइन करने की उपर्युक्त वर्णित कार्यवाही करने के लिए केवल 20 दिन का समय देय है जो इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से माना जायेगा। यदि 20 दिन की अवधि में अभ्यर्थी अपने शोध केन्द्र पर उक्त प्रक्रियानुसार ज्वाइनिंग रिपोर्ट और अन्य शर्तों की पूर्ति नहीं करता है तो उसका आवंटन स्वतः ही निरस्त मान्य होगा।
  3. अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के अध्यादेश 124.9 के प्रावधानों के अनुसार एक समसत्र 6 माह का कोर्स वर्क करना होगा।
  4. अभ्यर्थियों को वर्तमान में सेवारत होने अथवा नहीं होने का घोषणा पत्र शोध पर्यवेक्षक के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा तथा भविष्य में पाठ्यक्रम की अवधि में नियुक्ति प्राप्त होती है तो उसकी सूचना विश्वविद्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी।
  5. सेवारत अभ्यर्थियों को उनके नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- यदि संबंधित अभ्यर्थी को उक्त शर्तें स्वीकार हों तो वह इस अधिसूचना की दिनांक से 20 दिन की अवधि में उपर्युक्त वर्णित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

निदेशक (शोध)

क्र. एफ-15/शोध/मदसवि/RET 2017/18247-251

दिनांक : 25/08/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित शोध केन्द्र के विभागाध्यक्ष/प्राचार्य को इस निवेदन के साथ कि इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से 20 दिन की अवधि में यदि कोई अभ्यर्थी आवंटित शोध पर्यवेक्षक के पास कोर्स वर्क करने हेतु उक्त शर्तों की पूर्ति करते हुए ज्वाइनिंग रिपोर्ट देता है, तो उसे नियमित प्रवेश देते हुये उसकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट अविलम्ब निदेशक शोध को अग्रप्रेषित कराकर अनुग्रहीत करें।
2. संबंधित शोध पर्यवेक्षक को इस उल्लेख के साथ कि वे आवंटित अभ्यर्थी की ज्वाइन रिपोर्ट अग्रप्रेषित कर अपने शोध केन्द्र के विभागाध्यक्ष अथवा प्राचार्य को भिजवायें जिससे वे उन्हें शोध अनुभाग को भिजवा सकें।
3. वेब एडमिनिस्ट्रेशन, म.द.स.वि.अजमेर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित अभ्यर्थीगण की पत्रावली।
5. संबंधित शोध पर्यवेक्षक आवंटन समिति की पत्रावली।

उपकुलसचिव(शोध)

26/08/21